मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2261
05.08.2024 को उत्तर के लिए

वन्य अभयारण्य की घोषणा

2261. श्री चंदूभाई छगनभाई शिहोराः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ध्रांगधरा, रणपत और मोरबी तहसील के बीच कच्छ के रण क्षेत्र को वन अभयारण्य घोषित कर दिया गया है जिसके कारण वन विभाग भारी मोटर वाहनों को अगरिया में प्रवेश नहीं करने देता है जिससे वन विभाग के अधिकारियों और अगरिया के लोगों के बीच हमेशा टकराव होता रहता है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार और गुजरात राज्य सरकार ने उक्त मुद्दे/संघर्ष का समाधान करने के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उक्त विवाद का समाधान कब तक कर लिया जाएगा?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग): गुजरात राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ध्रांगध्रा, रणपत और मोरबी तहसील के बीच फैले कच्छ के रण क्षेत्र को जंगली गर्दभ अभयारण्य घोषित किया गया है। अभयारण्यों का दिन-प्रतिदिन का प्रबंधन राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अभयारण्य के अंदर प्रवेश को वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 27 और 28 के अनुसार विनियमित किया जाता है।

****